



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277196
CG-DL-E-16102026-277196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5419]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5419]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5633(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपधारा (ii) में अधिसूचना का.आ. 4259 (अ), तारीख 27 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित हुई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन (एआईपीए) के लिए सर्वोच्च समिति की संरचना से संबंधित, क्रमांक '16' के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

17.	संयुक्त सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य;
18.	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य;
19.	संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य;

20.	संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	सदस्य;
-----	--	--------

और

(ii) इसके पश्चात्, विद्यमान क्र. संख्या '17' को पुनः संख्यांकित करके '21' कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

21.	संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य सचिव।
-----	--	-------------

[फा. सं. सीसी-02013/3/2020-सीसी]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना का.आ. 4259(अ), तारीख 27 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2026

S.O. 5633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification S.O. 4259 # (E), dated the 27th November, 2020, namely:—

(i) In the said notification, in paragraph 1, relating to the composition of the Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA), after serial number '16', the following entries shall be inserted, namely: —

17.	Joint Secretary, Ministry of Road, Transport and Highways	Member
18.	Joint Secretary, Ministry of Coal	Member
19.	Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas	Member
20.	Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry	Member

and

(ii) Thereafter, the existing serial number '17' shall be renumbered as '21', namely: —

21.	Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member Secretary.
-----	---	-------------------

[F. No. CC-02013/3/2020-CC]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (ii) vide notification S.O.4259 (E), dated the 27 November, 2020.